

प्रेस नोट

17.11.2021

10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार—

दिनांक 16.11.2021 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मधुबन रोड पेट्रोलपंप के पास से सनोज कुमार पुत्र नंदु राजभर निवासी सेमरी जमालपुर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्ज से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 673/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 14 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 17.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा नितिश निवासी कस्बा घोसी थाना घोसी, ओमप्रकाश यादव, मनोज यादव निवासी शाहपुर, नागेन्द्र राजभर, बिसूनदेव राजभर निवासीगण चुम्मानार थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा विक्रान्त कुमार निवासी कपरियाडीह, प्रेमचन्द्र मौर्या निवासी बनाफा, राकेश मौर्या निवासी अमिला, मनीष शर्मा, राजेश शर्मा निवासीगण सिकरौल थाना घोसी, फुलचन्द्र चौहान निवासी उण्डका थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा रोहित राजभर निवासी राधोपट्टी थाना सरायलखंसी, रमाकान्त विश्वकर्मा निवासी भीटी, सतेन्द्र कुमार निवासी परदहा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।